

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com

दूरभाष नं:0141-2711978, 2711938

क्रमांक: प. 111/नि.अ.मा.वि./अनु. छात्रा./सत्र 2018-19 / 14686

जयपुर. दिनांक: 16/12/2019

आदेश

विषय:- सत्र 2019-20 की अवधि में जिला मुख्यालय नागौर पर संचालित बालिका छात्रावास की क्षमता में वृद्धि के संबंध में।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नागौर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसरण में निम्नवत तालिका में अंकित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की स्वीकृत क्षमता में अतिरिक्त सीट्स की वृद्धि किये जाने की अनुमति निम्नांकित प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	स्वीकृत छात्रावास (मुख्यालय / ब्लॉक)	स्वीकृत छात्रावास का प्रकार एवं क्षमता	विभागीय टिप्पणी	स्वीकृत छात्रावास की क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि (कुल क्षमता)
1.	जिला मुख्यालय नागौर	बालिका/ 40 बैडेड	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की अभिशंषा, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इस छात्रावास में 10 सीट्स की वृद्धि की गई है।	+ 10 (50)

शर्तें:-

1. उक्त उल्लेखित आवंटित की गई अतिरिक्त सीट्स शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिये ही प्रभावी रहेंगी।
2. उक्त आदेश की प्राप्ति के 7 दिवस की अवधि में आवंटित की गई अतिरिक्त सीट्स के विरुद्ध जिला प्रवेश समिति के द्वारा अनुमोदित प्रवेशार्थियों को ही छात्रावास में प्रवेशित किया जावे।
3. उक्त आदेश की पालना के फलस्वरूप छात्रावासों में अतिरिक्त प्रवेशित किये जाने वाले आवासियों की सूचना निदेशालय को भिजवायी जावे, ताकि अतिरिक्त प्रवेशित किये गये आवासियों को देय प्रावधान के अनुसार अनुदान राशि का आवंटन संबंधित जिला कार्यालय को किया जा सकें।
4. शेष शर्तें यथावत रहेगी।


(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त निदेशक

क.प.उ.

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर नागौर को सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा
6. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नागौर को पालनार्थ।
7. अधिकृत स्वयंसेवी संस्था.....।
8. सूचना सहायक को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।



(डॉ. सकुद अख्तर)
सहायक निदेशक (प्रथम)